



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इंदौर

518, न्यू सोनी बंगला, एच.जी. रोड, इंदौर- 452007

दूरभाष: 0731- 2432822, फ़ैस: 0731-2538600

ईमेल: compent@mp.gov.in वेबसाइट: <http://labour.mponline.gov.in>

क्रमांक 227/बीएस/नवम/प्रवर्धन/2024/ 4157 -356

इंदौर, दिनांक 18/02/2024

प्रति,

- (1) सचिव विभागाध्यक्ष,
- (2) सचिव विभागाध्यक्ष,
- (3) सचिव मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय- न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन
इसे, एरियर न्यूनतम वेतन।

उक्त विषयसंबंधित वम विभागीय, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (व.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षणों में सिरोजित धर्मशो/कारिधियों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अगस्त, 2024 से पुनरीक्षित की गई थी: (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)

उक्त अधिसूचना के विरुद्ध दि. मध्यप्रदेश टैक्सटायल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य साधिकाकार्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खजूरपीठ इंदौर में साधिका क्रमांक WP.10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र. 11921/2024 एवं क्र. 12606/2024 दायर की गई: माननीय उच्च न्यायालय, खजूरपीठ इंदौर ने पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं महर्षिज आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा वम विभाग, जोगास की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन इसे की प्रभावशीलता पर न्यूनतम विवादा का।

उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय, खजूरपीठ इंदौर द्वारा उक्त साधिकाओं पर दिनांक 10.02.2025 तथा दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश अनुसार वम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन इसे, समय-समय पर देय परिवर्तनीय महर्षिज आदेश सहित पुनः प्रभावशील हो गई है।

न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान के संबंध में वार्षिक/त्रैमासिक क्रमांक 6891 दिनांक 28.02.2025 (छायापत्र संख्या) द्वारा भी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्पष्टि स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में सम्बन्धित पर जारी परिपत्र/अतिवृत्तनाम जाति विनाशक वेबसाइट/पोर्टल labour.mponline.gov.in पर भी उल्लेख है।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिधानशील बहालगी वाले अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/आइएमओ/कर्मचारियों को बताया जाना अपेक्षित है। यदि उपरोक्तानुसार अवधि हेतु वेतन के संबंध में कोई परिपत्र की गति वाली है तो उस गति का प्रमाण बनाने का अनुरोध है।

(संलग्न - उपरोक्तानुसार)

Shade
/2025
(संख्या 111)

धन्यवत्

सहायक, इटोर

क्रमांक 227/अर्थ सा/सचिव/प्रवर्तन/2024/439-444
उपनिमित्त:

इटोर, दिनांक 18/11/2024

1. सचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ सचिव, संचालक, जोरान की ओर मुख्यालय पर्यटन।
2. सम्बन्धित सहायक धन्यवत्/धन्यवत्/सहायक धन्यवत्/धन्यवत्/धन्यवत् (स.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संचालक सचिव संयुक्त संचालक/उप संचालक सहायक संचालक औद्योगिक सम्बन्ध एवं सुरक्षा (स.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shade
धन्यवत्

सहायक, इटोर



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मोडेली बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन - 0731- 2432822)

फैक्स 0731-2536600 ईमेल icmfwages@mp.gov.in

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891

इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

परिपत्र

विषय -याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

-0-

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरुद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"15. Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

16. It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूल्न, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोड़कर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी दिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, नियमित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

- 1- अनुक्रमांक 36(क) - किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन
- 2- अनुक्रमांक 59(क) - किसी वूल्न, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन
- 3- अनुक्रमांक 73 - किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त पंक्तिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिये न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


(प्रवीण सिंह)
श्रमायुक्त

मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025
प्रतिलिपि -

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनायें।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुनर्वास विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/तमसा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
- 4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- समस्त मुख्य कार्यापालक अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 10- संचालक, औद्योगिक स्वस्थ एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
- 11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिमोण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 12- सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।
- 14- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 15- लेबर व्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
- 16- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 18- प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं श्रम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 19- समस्त श्रम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनायें।
- 20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
fz



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन एवं
 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
 दिनांक 01.04.2024 से

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरवत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वो/पाच/2024/ 14567-8/6

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में तद्विहित प्रावधान, सहयुक्ति मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता है, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के मिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। तिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अल्प/पांच/2024/ 14567-816 दिनांक 24.05.24 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छः माह का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर $(400-386)=14$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुयायित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के माल से रुपये $(25 \times 14) = 350/-$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अशुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-241) = 159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 159) = 3975/-$ प्रतिमाह या $(3975 \div 26)$ रुपये 152.88 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-253) = 147$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 147) = 3675/-$ प्रतिमाह या $(3675 \div 26)$ रुपये 141.35 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, शोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/82/वि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-82/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं क्लर्कियों के लिये दैनिक वेतन की दर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।


अनुसूची - 3

इस अनुसूची में दिखाए गए हैं वार्षिक एवं दैनिक लेखन की विभिन्न परिष्कारकारी समस्त अलग-अलग सविस्तर सूची (अंकित सचिवों की)

व्यवस्थापक	वर्षावली लेखन		दैनिक लेखन			व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य कार्य	व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य कार्य	वर्षावली लेखन		दैनिक लेखन		व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य कार्य	व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य कार्य
	वर्षावली लेखन	दैनिक लेखन	वर्षावली लेखन	दैनिक लेखन	वर्षावली लेखन			दैनिक लेखन	वर्षावली लेखन	दैनिक लेखन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6580	750.00	3327	407.55	5875	177.45	378	अनुसूची	6580	240.00	3675	141.35	10175	195.55
7057	771.42	3425	415.45	6055	170.55	411	अतिरिक्त	7057	271.42	3975	152.88	11072	224.41
7455	521.42	2277	279.42	3265	96.55	464	कुल	8425	324.42	3975	157.88	12640	422.31
8753	571.42	2475	303.42	3560	111.55	519	अनुसूची	8753	374.42	4975	192.88	13670	327.31

समाप्ति

- अनुसूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में दैनिक एवं वार्षिक अनुसूची निर्धारित की जाएगी। दिए गए लेखन के नीचे के अनुसूची/वर्षावली लेखन/दैनिक लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी। (अनुसूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी।)
- अनुसूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी। (अनुसूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी।)
- इस सूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी। (अनुसूची में दिए गए लेखन के अनुसार वास्तविक रूप में वार्षिक एवं दैनिक लेखन की जाएगी।)


 (नाम) (पद) (दिनांक)
 अनुसूची
 5/2

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजित श्रमों के नाम निर्धारित हैं

क्र.	अनुसूचित नियोजित	भाग - एक
1	किसी फायर डिमिंग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजित	
2	किसी वन लगाने तथा उन उपज में नियोजित	
3	किसी जलो के निर्माण या सन्नाह या मछल निर्माण कार्य में नियोजित	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजित	
5	किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण में नियोजित	
6	किसी विद्युत कार्य के निर्माण तथा संभरण में नियोजित	
7	किसी केमिकल तथा फार्मेस्यूटिकल्स में नियोजित	
8	किसी आरा मिल में नियोजित	
9	किसी तेल मिल में नियोजित	
10	किसी फायल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजित	
11	किसी गुरा पीका निर्माण में नियोजित	
12	किसी खाद्य पदार्थों में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शन्स, आईसक्रीम, आईसक्रीमी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजित	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर चिकने के कार्य में नियोजित	
14	किसी दूध, दूधनिष्ठक, अम्लीय दूध, रेस्टॉरेंट तथा मद्यगृह में नियोजित	
15	किसी मृदाशास्त्र में नियोजित	
16	किसी सीमेंट पॉल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजित	
17	किसी प्लास्टिक उत्पाद में नियोजित	
18	किसी फ्यूल लोक में नियोजित	
19	किसी घुना भट्टे में नियोजित	
20	किसी इट भट्टे में नियोजित	
21	किसी पीपलस/जिसमें सायडिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजित	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजित	
24	किसी खाणकारी उत्पादन में नियोजित	
25	किसी प्राचीन जिसमें रिफ्रेजरी सामग्री, वायरलेस, रेडियो वंगर, इन्सुलेटरी, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टाव वंगर पाईप, फ्लेक्स, लुईनिंग डिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामग्री सम्मिलित है, में नियोजित	
26	किसी सॉल्वेंट निर्माण कार्य में नियोजित	
27	किसी क्लॉथ, फेब्रिक, निर्माण, कढ़ाई में नियोजित	
28	किसी कच्चा उद्योग में नियोजित	
29	किसी रस्साज गैर-वेड निर्माण में नियोजित	
30	किसी इस्फुरी उद्योग में नियोजित	
31	किसी खनिज में नियोजित	
32	किसी टाईल्स, जिसमें गैंगलोर, टाईल्स, अतालावाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय माट्ट में प्रयुक्त टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजित	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया को कि कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा 10(क) में परिभाषित की गई है, प्रयुक्त जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य परिधि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजित	
34	किसी कारखाने उत्पादन जिसमें परातल कन्ट तथा विद्युत विज्ञान (टैक्सटिलिक्स) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजित	

35	किसी ग्रामपंच. वित्तिक्रम समझा, जिनमें कॉमिंग केन्ट भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिग्राह) ग्राम विनियोगावली में नियोजन
39	किसी बटवाम जैसे कंकड़, मुरत, लोहा, बोल्ट, वायल, शिगाडा, साधारण रेली, बिजनेस स्टोन, रीट मेटल, अथे कुल्हा, अथे और लोहा स्टोन तथा अन्य प्रकार की सामा अधिनियम की धारा 3 के अधीन तैयार किये गये, में नियोजन
40	किसी अंतर्राज्यीय कर्मचारियों एवं मजदूरों के नियोजन में नियोजन
41	किसी वेकरी में नियोजन
42	किसी कॉलेज स्टाफ (शैक्षणिक) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्तराँ तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमाघृत्तों या थियेटर्स में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी अवसथानी या किसी अन्यकोडनयुक्त
48	किसी अधिगता या अग्रानों के कार्यलय में नियोजन
49	किसी हेजर कटिंग सोलू या स्प्री पावर में नियोजन
50	किसी डबोक या पेस्ट्रीसाईड (कीटनाशक दवा) के डिस्ट्रिबुटन में नियोजन
51	किसी ड्रिनिंग प्रवाहन या ट्यूबवेल के अनुस्थापन में नियोजन
52	किसी इन्फेक्टियस या सख्त कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या हीजल पम्पों में नियोजन
54	किसी के किसी बूटाई कार्य में नियोजन
55	किसी नीने और चाँदी की वस्तुओं के डिस्ट्रिबुटन में नियोजन
57	किसी छोटी रिक्सा और टैक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विमान सोसायटीको, उपभोगता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजकरी में नियोजन
60	किसी समुज निगम (जिसमें डिस्ट्रिबुट भी सम्मिलित है) में नियोजन
61	किसी डेवरी और दूध में उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी बिजनेस निगम, जिसमें कपडे से निर्मित, बिजनी भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिस्ट्रिबुट सेवाओं में नियोजन
64	किसी कृषिपर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी सुचारु, बंदी, पावड तथा ऐने ही साथ पठारी प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी कालेजों एवं अन्य वस्तुओं के विनिय संघर्षत कार्य में नियोजन
70	किसी कपडे कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी मृचना संशोधनिक कार्य में नियोजन
	भाग - दो
7	दृष्टि में नियोजन

(स्वायं कुमार सिंह)

अभ्यायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के ब्योजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर साल की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सदस्य ने एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में उल्लिखित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उन्नी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधनवाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विलकुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक काम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा आब तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी दिग्गं एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए मध्य तकनीकी या व्यवसायिक परिशिष्ट या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित हापूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या परिस्थितियों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सही गये कार्य की दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इन पाँच अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समान्य नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर वह संशुद्ध जायेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का वास्तविकता जा सके। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पाय लागे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (कमंक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिचालित लिए अनुसार विक्रम टिप्स के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहाँ कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सैतनिक अवकाश देने पर सम्य-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एका से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताने गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्गों के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिक एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(स्तयव कुमार सिंह)

अस आद्युक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

१२

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की

उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), मिश्री, स्वीपर, क्लोनर/हेल्पर, अप्रतिष्ठित माली, घपराती/प्यून/ धूल्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, घन्नासी, वॉकल अटेंडेंट, पद्मेदार, कुली, डाक खर, कोथमेन, बॉटल फ्लीसर, बंटर, सॉफ्ट-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टमैन, वेल्डर, प्रेसमेन, छेडेवाला, सिलाई ऑपरेटिंग, उदिया कार्य करने वाला, चपराब, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वेडर, बालवाडी आया, बाम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्लांट पर खड़ी पिलाने वाला, टेलकटर, जिन नुबदम, जिन मुकदमी, कपास कैरियर (डालनेवाला), गती वेज फिलर, लिटकेरियर, कोटतशीट्स कैरियर, कपास विकर, जिन पीहर, झाडूवाला, घोड़ेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कार्याचारी, कोसा फलों की निम्ती करने वाला, कोसा फलों को छानने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नक्की कटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना इतने वाला, बोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, इलायदार, प्राथिम लेवा पैपर, बोरी भरई, छापाई, हुनई, वेजिंग लडाई या खाली कारई के काम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुराक्षकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वाई सप्लायर, पैटर, सजापट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (मिलकंस), सेटमें (मिलकंस), चादर में गेटा लगाने वाला, हज्जाल, रेजा, हड्डी ढाने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढाने एवं भरने वाला, फ्रेम का काम करने वाला, मोण्ड्रीनेल, बोशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंधना, पापड देलने का कार्य, पेलबॉय, वेटर, इस अटेंडेंट, घागा कटिंग, चैकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई पुनाई वाला, लिफ्टर, सफाई कारखाना तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेजर, टार हेण्डलर, क्लरफेट इसर, प्लाइंट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, पेशर, टाईविस्ट, क्लर्क, मोहॉरर, सहायक मिन्त्री, साईनमेन, सहायक पिंजली मिन्त्री, सहायक ऑपरटर-वाटर कर्मा, कोबलर, हफ प्रेसमेन, विल मैन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक इसर, सहायक वाइल्डर, सहायक कारपेंटर, सहायक वेल्डर, सहायक रिपर, सहायक चनेमस्त्रिक, सहायक माल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक पलाकबईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शंपरमेन, सहायक पैटन मेकर, सहायक वीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जाय करने वाला गिरीक्षक, धातुमेन, फायरमेन, लिपिक, पन्थ अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, फवेरीमेन, व्हायटलिन, क्लेनिंग, प्रेसरी हायपर, टेबलेट मशीन ऑपरटर, ब्रौसल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकदम, आईलमेन, गेट, रेड मजदूर, वायरमेन, एफतपेला मेन, मशीन अटेंडेंट, विल कलेक्टर, विल थर्कर, रिगाइंडर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेफ्टमेन, मसालाची, सहायक मेसन, गारेवाना, मिट्टी गूंधने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे का पिंजली पर ईट जमाने वाला, मशीन फोल्डर, स्टीपर फोल्डर, फ्रेडफोल्डर, पाटाफोल्डर, गांठवाला, सहायक जोपर, सहायक रुथिड जगपट पंचरुयल/ ग्रास पंचरुयल, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागा को मशीन से दिवस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्यर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कतिई कर्मचारी, उन कतिई कार्य के कतिने, कटर होजिबरी, चीपर, सहायक टैन ऑपरटर, सहायक साटैर, मूशी, कान्सेली अतिस्टेंट, एक्सरे अतिस्टेंट, ई.सी.जी. अतिस्टेंट, अतिस्टेंट कपाडलर, अतिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिंक्रुरिटी सुपरवाईजर, कोपिस्ट, अतिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरटर, मशीन अटेंडेंट, पन्थ खसानी, डिपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, क्लिन्स शीप श्रमिक, पंच ऑपरटर एवं गैकसालर, क्लिन्स श्रमिक, बनेजर पैट

सिख, क्रिश्चियन, क्लिबन्स अल्लोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक क्लिबसा ऑपरेटर, पिपर, मेकेनिक क्लब हेल्पर, क्लिबसा मेकेनिक क्लब हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, विथी सहायक, सूत स्टॉफ इंचार्ज, मशीन ऑपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निसियन, ड्राफ्ट्समन सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक भाडी, सहायक कुक, युक्ति क्लर्क, शेजर, अन्य, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के फलने बिछाने वाला, सूत टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, अतिस्टैंट सुपरवाइजर, सहायक कैमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक जॉइंट कजर टैकर, जॉइंट्स सह आर्टिस्ट, एके सहायक, सहायक सर्वयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धशाल कर्मचारी आदि।

कुशल -

जोताखोर, लोपेल एण्ड शैल लाईन सोसाइटी फ्रेम ऑपरेटर, कैमिस्ट, डिजिन मशीन ऑपरेटर, मेसलर, फ्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुशासन नण्डल से लायसेंसधारी), कंठिन्ट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलेर मास्टर, एक्सडन्टेड, केशियर, गोंडाउन्लीपर, फीटर, वॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.डी. ऑपरेटर, इंजिन ड्राफ्टर, डेक्टर ड्राफ्टर, टुक ड्राफ्टर, डन्पर ड्राफ्टर, रोडरोलर ड्राफ्टर, पालक(शरीर वाला), अट्टी पालक, टेक्नी कालक, ड्रिनर, गार्डनर, मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, पेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, क्लबसाहा, कुक, तंदूरी, टी-मैन्टर, आइर मास्टर, क्लीनर, मिठाई बनाने वाला कर्मीपारी, पोह बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पब्लिक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या मध्यमशाली, ऑपरेटर पाटर बक्स, उपयोजी डिजाइनेर, वायलालय सहायक, सिनियर गार्ड, फायरमेन, क्लिटर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीन, युड पॉलिशर, डोर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, एलेक्त्रिसिय, शेपर, क्लबसाइजर, रिमा, फ्रेममेन, अपहोलन्टर, कारपेंटर, टैलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हेमरमेन, गॉसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/ लैबोरेटरी टेक्निसियन, शोधक, वेल्डिंग, प्रयोगशाला सहायक, टैपमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, माटरमेन, अट्टी वाला, पेंटर, लोटीप्योपी ऑपरेटर, लॉडर्स, अक्लंडर्स, लाईन फेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, फ्रेम मशिनिस्ट, क्लोई इंचार्ज, कम्पेस ऑपरेटर, लोन्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिब्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नेन, रेकार्डशिपर, ओ.टी.मेकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रवास प्रभारी(वाहने), टर्जी, गैसर मिस्त्री, तकलीफी कार्य करने वाली व्यक्ति, हाईपर, मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनकर, चरखा चालक, मास्टर (करीगर), जैकब बुनकर, बुनकर, फ्रेमवूम मास्टर, वीसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेबापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, युड पॉलिशर, इन्कलीन इंजर, स्फेयर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मेकेनिक, कैमिस्ट/ लैबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लाबोरेटरीन (बिचाल), पाईपमेकर ऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंचार्ज (मेड, पिक्नि), नेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक क्लब ऑपरेटर, वेल्डर, पेटस मेकेनिक क्लब ऑपरेटर, सर्वेनिक सचिव, सेल्समेन, आर्ट सिब्युरिटी गार्ड, वाइरिसर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, ड्राफ्टिन्ग, मसजिद, केप्टन, बरमेन, स्टूडेंट, बेकरी कारीगर, ओपर/अट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गन्नाई-फिट्स, लैर, बिचल, आभूषण जडई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिटोपानिस्ट, ब्रांड, ब्रड एन्स, इंजर, इट्टी एट्टी ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूथने वाला, पैकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जेनीटिविस्ट, रिक्वैर, हेडक्वॉ, सर्वयर, गार्ड, सुपरवाइजर, सांटर, गार्डनर, मेकेनिकल हाउस कीपीन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एन.टीक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रॉ इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वियासोडिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साइंटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल वर्गधारी आदि।

(ऐसा वर्गधारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस ध्येयताय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकडन्ट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, फर्कर आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, मिथाओटिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, क्रिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, मिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथरलेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

कैमरा ऑपरेटर, कमांडियन आर्टिस्ट, इन्फ्रामेन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएयर, इन्कलेटर, लाइवो ऑपरेटर, लाइवो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाइप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाइप मेकेनिक, रोटीरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

फ्लायरिजिटर, टाइपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिनेपड प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएयर, गिन्टिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर, मशीनमेन, फटर, बाइन्डर, सिविन मशीनमेन, रलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

लियोओफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, यान्त्रिकमेन, टैक्सोलेटर, योक्सोलेटर मशीनमेन, असिस्टेंट प्रेसनेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लियोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, येनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कांथी प्रेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मकीयर, ट्रेसर, कॉलिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, वाक्स पंचर, हेण्डबोक्स या इन्वोलुप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आधरेटर, असिस्टेंट एयर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, लम्बर या पेजिंगमेन, घेकर घुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपसेटर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, फरफरेटर, लेयर पंचर, रूलिंग फिडर, विजिंगमेन, ड्रायर, इक्रेन्स असिस्टेंट, फाउण्ट्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ओपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबार्मेन, रोटल सप्लायर फीडर स्टैरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर ग्राइंडिंग वायलर क्लीनर, मजदूर आबिजलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, क्लिस्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यूज, माली, लियो साधारण ओफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।


(सुरेश कुमार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



अनुसूची - ब

विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता

अधिनियम एवं दंडविम कानून की दिशा में परिष्कारकारी अनुसूची द्वारा परिष्कृतित है (अनुसूची संख्या 1)

वर्ष	महीना	विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन			कुल मात्रा (मिलियन लीटर)	कुल मूल्य (रु. करोड़)	कुल आय (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	कुल अंतर (रु. करोड़)	कुल आय (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	कुल अंतर (रु. करोड़)
		विवरण	मूल्य	आय								
दिवस 01.10.2014 से 31.03.2014 तक												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2014	10	3275	107.88	1825	372.58	375	375	0	375	375	0	
2015	01	3625	118.42	1935	397.31	397	397	0	397	397	0	
2015	02	3821	124.42	2060	462.55	462	462	0	462	462	0	
2015	03	3875	128.42	2147	505.65	505	505	0	505	505	0	
2015	04	3875	128.42	2160	512.55	512	512	0	512	512	0	
						कुल	1751	1751	0	1751	1751	0

विवरण -
 1. अनुसूची संख्या 1 में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के दिनों का अधिनियम संख्या 10/2014 के अन्तर्गत विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता का प्रारंभ हुआ है।
 2. अनुसूची संख्या 1 में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के दिनों का अधिनियम संख्या 10/2014 के अन्तर्गत विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता का प्रारंभ हुआ है।
 3. अनुसूची संख्या 1 में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के दिनों का अधिनियम संख्या 10/2014 के अन्तर्गत विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता का प्रारंभ हुआ है।
 4. अनुसूची संख्या 1 में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के दिनों का अधिनियम संख्या 10/2014 के अन्तर्गत विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता का प्रारंभ हुआ है।
 5. अनुसूची संख्या 1 में 01 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के दिनों का अधिनियम संख्या 10/2014 के अन्तर्गत विश्वी एरियर पैट्रोल मिश्रण गहन में विविधता का प्रारंभ हुआ है।

(हस्ताक्षर)
 महासचिव,
 राज्य एरियर बोर्ड

**अनुसूची - 3
विभिन्न अनुदानों के विवरण**

जिला का बजट-2024 के विभिन्न वित्तियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण (अनुसूची-3)

अनुदान संख्या		वित्तियोजना का नाम		वित्तियोजना का प्रकार		वित्तियोजना का स्तर		अनुदान का प्रकार		वित्तियोजना का नाम		वित्तियोजना का प्रकार		वित्तियोजना का स्तर	
संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम
0700	150.00	3625	127.88	8079	377.58	273	...	6504	250.00	3175	141.20	10175	446.35	28	...
8013	224.42	3478	123.92	12060	462.85	444	...	8415	374.42	3975	157.88	10910	477.31	477	...
2037	891.42	3625	155.47	10682	476.85	419	...	7057	271.40	2975	152.88	11037	464.31	424	...
0755	574.47	5575	129.72	13340	511.45	714	...	8725	374.42	3875	151.88	12790	257.31	327	...
0138	872.50	3275	75.42	7110	311.92	512	...	3635	377.50	2975	152.88	14840	325.38	525	...
03-5	540.88	1775	19.42	13004	504.12	505	...	1478	460.60	3875	152.88	13375	213.58	411	...
0775	124.42	3575	114.42	14060	465.85	464	...	8435	324.42	3875	152.88	10430	477.31	477	...
8430	224.42	3625	128.42	12060	461.85	464	...	8435	324.42	3875	152.88	12430	477.31	477	...
7057	271.42	3625	138.42	8062	410.85	411	...	7057	271.40	2975	152.88	10138	464.31	424	...

टिप्पणियाँ -

1. यह अनुसूची 2024 के बजट के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण को दर्शाती है। अनुदानों की राशियाँ अंतिम रूप में निर्धारित की जाएंगी।
2. अनुदानों का उपयोग विभिन्न वित्तियोजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा। अनुदानों का उपयोग विभिन्न वित्तियोजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा।
3. यह अनुसूची विभिन्न वित्तियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण को दर्शाती है। अनुदानों की राशियाँ अंतिम रूप में निर्धारित की जाएंगी।

अनुसूची-3 के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण

अनुसूची-3 के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण

अनुसूची-3 के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के विवरण

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वो/पोच/2024/ 14817-15066 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य से प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, संशोधित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया। माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87-100)
जुलाई, 2023	1215
अगस्त, 2023	1224
सितम्बर, 2023	1226
अक्टूबर, 2023	1241
नवम्बर, 2023	1253
दिसम्बर, 2023	1257
औसत सूचकांक	$7416 \div 6 = 1236$ (1236)

तथा इनका औसत 1236 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निवेश व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वै./पांच/2024/148/7-15066 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 रहा है। गत छ. माह का औसत 1180 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1180 के उपर $(1236-1180) = 56$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मात में रुपये $(6 \times 56) = 336/-$ की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 $(1986-87=100)$ के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(1236-768) = 468$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(468 \times 6) = 2808/-$ प्रतिमाह या $(2808 \div 30) = 93.60$ प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय घेतल $5350+2808 =$ रुपये 8158/- तथा $8158 \div 30 =$ रुपये 271.93 (राउण्ड-अप रुपये 272/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024/ **15067-316** इन्दौर, दिनांक **24-05-2024**
अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार बनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर इन्फो, शिमला से प्राप्त कर, में स्वतंत्र कुमार सिंह, बनायुक्त, मध्य प्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए क्रमानुसार प्रकाशित करता है:

	माह / वर्ष	अधिल भारतीय बीपी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100)
1	जनवरी, 2023	8730.09
2	फरवरी, 2023	8723.51
3	मार्च, 2023	8762.95
4	अप्रैल, 2023	8822.12
5	मई, 2023	8854.99
6	जून, 2023	8966.74
7	जुलाई, 2023	9183.68
8	अगस्त, 2023	9150.81
9	सितम्बर, 2023	9039.06
10	अक्टूबर, 2023	9098.22
11	नवम्बर, 2023	9144.24
12	दिसंबर, 2023	9124.52
	योग/ औसत सूचकांक	107600.93 ÷ 12 = 8966.74 (8967)

तथा उपरानुसार इनका औसत 8967 घोषित करता है, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीपी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यव सूचकांक (एन्पुअल सर्वेज कार्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक-4(सी)-2013-ए-सौलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भन्दा-घोटी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

बनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणक एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, मॉणाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-15-ए, दिनांक 5.6.1997 (स.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, मॉणाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (स.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपमोक्षता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक देय है।

अनायुक्त कर्माचार्य, सच्य. प्रदेश शासन, इन्टॉर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्व/पांच/2024/15067-
 भाग 3+6 दिनांक 24/05/2024 के अनुसार जनवरी,2023 से दिसंबर,2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपमोक्षता मूल्य सूचकांक का औसत 8967 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपमोक्षता मूल्य सूचकांक 5299 (1960-100) के आधार आंकड़ों के औसत के उपर $(8967-5299 = 3668$ पाइन्ट) 3668 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी के भाज से रुपये 36.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - ई

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	व्यवसय वेलन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेलन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	रुपये 110.68 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेलन का बीज रुपये 619.81 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 619.81 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट - एक हजार बीड़ी रोलर पर न्यूनतम वेलन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को वॉलन वी 9 रुपये 68 पैसे (8.33 प्रतिशत), अखिल उपमोक्षता के एवज में भगत भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5 प्रतिशत), एवं अधिक्य निधिप बाधद नियोजन का अंशदान 11 रुपये 52 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होंगी। इस संगत देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का अधिक्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बनाने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं अधिक्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपराल तुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मरगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2. रिटायर्ड श्रमिक			
अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1. लेबल चिपकाने तथा पुत्री को बताने या चिपकाने संबंधी कार्य	₹. 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 89.07
2. यदि कट्टों पर टॉपों और लेबल लगाया जाता है।	₹. 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 92.94
ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	₹. 45.95 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 82.64
2. झिल्ली लगाना	₹. 33.54 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 27.51 (03 पैसे प्रति 4000)	रुपये 61.05
3. लेबल लगाव	₹. 12.84 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.01
4. पूरा करना या चिपकाना	₹. 13.25 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.42
स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीड़ियाँ का कट्टा हो :-			
1. आड़ी तथा खड़ी घट्टी लगाने का कार्य हो	₹. 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 339.36
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31
3. झिल्ली तथा लकड़ी झिल्ली लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31

नोट - बीड़ी निरीक्षण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन जाने वाले कर्मचारियों जैसे प्रोडि जाटने तथा जांच करने वाले, हेल्थकू निरीक्षण तथा धारण के कार्य करने वाले, अट्टी वाला रसेइया, ड्रायर (मारी काला), सेल्का साल, एकाउन्टेर, मनीम, कैशियर, गार्डान कीपर, स्टोर कीपर, टाउपिल्ट, बिलमेल, बलक, भूष, धीरिदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/वाहन (भारी वाहन), एकउन्टेट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, मोबाइल कीपर ।
- 2-अर्द्धकुशल- बीड़ी छटने तथा जाच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्के वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।


(स्वल्प कुमार सिंह)

अज्ञात,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी




Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.04.2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2024

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	36.68
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	05.53
4.	Total Wages	116.21
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	9.68
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	11.62
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	137.51
8.	Total Wage + Bonus	125.89
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-)	11.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	114.27


(Swatantr Kumar Singh)
Labour Commissioner,
Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्व/पांच/2024/ 15317-566 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर च्युरो, शिमासा से ज्ञात कर नै, स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

क्र.सं.	माह / वर्ष	अधिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जुलाई, 2023	402.34
2	अगस्त, 2023	400.90
3	सितम्बर, 2023	396.00
4	अक्टूबर, 2023	398.59
5	नवम्बर, 2023	400.61
6	दिसम्बर, 2023	399.74
	योग/ औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी वनाल भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्वयुअन एग्जिस्टिन्स ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-2013-ए-सी.सू. दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील माहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन घटने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तन्त्रांक (जिसमें बीडी बनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगठना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक रूप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसम्बर, 2014) के अंतर्गत किसी तन्त्रांक (जिसमें बीडी बनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, जध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्य/पाच/2024 ²⁰²⁴ ~~2023~~ 15.3.17-566 दिनांक 24.05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसम्बर-2023 तक को अर्थात् में अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छः जहाँ का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण मत छः जहाँ में मान्य किये गये अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर $(400 - 386) = 14$ प्वाइन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीडी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर वजन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 14 = 350$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400 - 239 = 161$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की कुल राशि (25×161) रुपये 4025/- प्रतिमाह अर्थात् $(4025 + 26) =$ रुपये 154.81 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 9100 रुपये का $9100 + 26 = 350$ रुपये प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

सभी निर्माण के संघ में दैनिक या मासिक दर से वेतन वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मानाई करते रहित दिनांक 01.04.2024 से निम्नानुसार देय है :-

(आकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील संशुद्धि भत्ता		कुल वेतन		रुपये राज ५५ में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	दैनिक दर
1	सम्बन्ध तथा हेतुवृत्तता देने पर वैदिक प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, सम्बन्ध शिक्षण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, माइन ड्रायवा (वाहन) इसके वाहन, टावरिस्ट, फलके विद्यमान	5075	195.19	4025	154.81	9100	350	350
2	दुक में मान रखने या उतारने या खंडितियों के छूटी पर भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, मृत्यु, पौरीदार	4945	190.19	4025	154.81	8970	345	345
3	इसकर (वालक) भारी मान, एम्बड्रेट, जुबीज, फेसिपन, स्टीर कीपर, मोसाडकीपर, इंडकल्फे	5225	200.96	4025	154.81	9250	355.77	356

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को एडजस्ट-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। पित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/घार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अर्थात् उससे अधिक पैसे ही लगे, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का घटते किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का घटते किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिष्कृत किये अनुसार विश्व दिवस के संघ में पारिभ्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील संशुद्धि भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तरम तीन में लैबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक शक्ति के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) पर आधारित है। 5299

सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना ही तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
- 6- जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, लेन्दूपन्ना, धाना पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज से कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हों, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- अणु, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षीम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

कमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्व/पांघ/2024/ 15567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

अधिसूचना

अगरवल्ली उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त पदस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के तब रूपा, शिमला से जात कए, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर दिनांक माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय अगरवल्ली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
शीघ्र / औसत सूचकांक	$2398.18 \div 6 = 399.70 (400)$

तथा दिनांक उःमाही का औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कान्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्दिष्ट पारिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय है।


 (स्वतंत्र कुमार सिंह)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप अगरवती उपोद्योग

श्रम विभाग, मोघाल दरि अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोतह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, मोघाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (अध्य. प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरवती उपोद्योग में नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, अध्यक्ष प्रदेश शासन, इन्टोर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/3अवे/पाच/2024/15567-816 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छ: जारी सब औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण मत छ: माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उधर $(400-386) = 14$ प्रतिशत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरवती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 14 = 350$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (200+100) के उधर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400-241=159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $25 \times 159 = 3975$ प्रतिमाह या $3975 \div 26 = 152$ रुपये 88 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरवती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 159 पर $(159 \div 4 = 39.75)$ रुपये 39.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरवती उपोद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरवती रोलसे (1000 अगरवती रोल करने पर) साधारण	21.40	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	₹. 61.15
(ब) सुगणित (सेंट्रल)	22.00	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	₹. 61.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिबल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(38) निम्न वजन के अनुसार अगस्त्यती गिजक, बटर वेपर की डिग्री लैटन, खाली पकेट में अगस्त्य पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 52.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.98
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 83.05
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 105.14
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 132.26

सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300	रुपये 85.47

			(33 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सेकड़ा रु. 34.48	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 86.95
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सेकड़ा रु. 37.03	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 89.50
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सेकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सेकड़ा रु. 51.00	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 130.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सेकड़ा रु. 54.47	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 133.97

(इ) निम्नानुसार पुंगरी बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अवरबतियों को मिलकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोपेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 15.98	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.01
2. 12 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 17.80	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.83
3. 23 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 21.30	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.10
4. 50 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 22.19	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.99
5. 100 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
6. 200 अग्रबत्ती के लिए	प्रति सेकड़ा रु. 28.70	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400	रुपये 68.45

(25 पैसा प्रति बिन्दु)

(ई) सार्द तिकाफे में अगारबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5 अगारबत्ती के लिए	प्रति सेकंड रु. 3.85	रु. 6.36 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 10.21
2. 10 अगारबत्ती के लिए	प्रति सेकंड रु. 4.44	रु. 7.95 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 12.39
3. पुकली ब्लास के कागज (सोसिम पोपर्स)	प्रति सेकंड रु. 36.34	रु. 11.13 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 47.47

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.04.2024 से देय

(आकंटे रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्य-अप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुष्प बनाने वाला, मसाला भरने वाला, मूल्य वॉरियर,	5939	228.42	3975	152.88	9914	381.31	381
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोड़ने वाला,	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
3	एकड्रैफ्ट, केशियर, गार्डन वीकर, सिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	8415	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477

नोट - उपरोक्त उपाग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, सिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोड़ने वाला, एकड्रैफ्ट, केशियर, गार्डन वीकर, टाइपिस्ट, क्लर्क, मूल्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन पुराना, अर्द्धकाल, एवं अकुशल वर्गों की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रुपये के गुणाकों को राज्य-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एच 9-7-2006/नियत/घर, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अधिकता द्वारा अधिक पैसे हो ली, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (पी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अधिकार भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके परचात सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक क्रम के लिये प्रतिशत समुच्चय अधिक किया गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति दिवस प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक 01 मही जुलाई से दिसंबर

तथा जूनधरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी और कजाय: 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से दिये होंगी। इस प्रकार संगठित परिवर्तनशील महसूबई कजाय न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायेंगे।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जायेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की चारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिष्कृत किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में परिवर्तन भी सम्मिलित होगा।


(स्वर्ण कुमार सिंह)

कमावुपत,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रमाप्युक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक. 6/11/अन्य./पांच/2024/ 15817-16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दर, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-2-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई थी, जो अधिल भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक 241 (जून, 2014) 2001-100 को आधार मानकर संवद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विधायकतांत अनुसूचित नियोक्तों की सूची में क्रमांक 1 से 35, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोक्तों में न्यूनतम वेतन की दर अभी तक शोधित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनिश्चित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की छः माहों का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में माध्य कितने नये अधिल भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के उपर (400-386) = 14 औसत वित्तीयों की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान-उत्पन्न न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा सचिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.सित्.2024 को पारित स्वगत आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दर निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोक्तों में मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान में) (अग्रहण रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

श्रमिकों के अतिरिक्त श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दर, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान में) (अग्रहण रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, गट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनीम, लैकावर, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलर्स, जिन्नी पाईन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कटर्स	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुबंधित वर्ग							
अनुबंधित	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
पूर्णतः कुशल							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अर्ध कुशल वर्गी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

अनुसूची - क

राज्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन श्रेणी कर्मिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुबंधित	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अर्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2023 तक जारी का कृषि शक्ति उपभोगक अल्प स्तरों का औसत 1236 है, इसके पूर्व की 10 महीने का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 किन्तुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा - (30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुबंधित	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीड़ी रोजर (1000 बीड़ी बंधने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीड़ी रोजर पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को खानस पेटे 9 रुपये 68 पैसे (8.33%), अखिल अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि वाकद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होंगे। इन सबका देय राशि नौ से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बंधने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमिकों से 11 रुपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 62 पैसे उपरोक्त शुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरवल्ली नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छ.मासी में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एक (अगरवल्ली नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरवल्ली रोजर (1000 अगरवल्ली रोजर काने पर) साधारण दर	21.40	रु. 39.75	रुपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेटैड)	22.00	रु. 39.75	रुपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई थी जिस में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पेश तथा रुपये के गुणकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसृत्य प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर देनिक दरे निर्धारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिचय क्र. एच 9-73-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे का उससे अधिक पैसे ही नौ, इन्हीं रुपये उपरोक्त रुपये में पूर्णकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.एनएच दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अखिल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी बन गई है।

(स्थान कुमाव सिंह)

बसायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

१२

पेस विवरण

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से लागूवर्ती वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को दैन्य परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कर्चरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की जाती है, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संघट्ट की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 400 रहा है। इसके धरण गत छःमाही में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से 25x14= 350.00 रुपये (तीन सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता कुल रुपये 3975/- प्रतिमाह अथवा रुपये 152.88 प्रतिदिन देय है।

अतः शमायुक्त द्वारा घोषित मंद्गाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अधिसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10175/- या प्रतिदिन रुपये 391.35, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 11032/- या प्रतिदिन रुपये 424.31, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12410/- या प्रतिदिन रुपये 477.31 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13710/- या प्रतिदिन रुपये 527.31 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंद्गाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 336/- की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 8158/- या प्रतिदिन रुपये 271.93 पैसे की मजदूरी मंद्गाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता सहित रुपये 110.68 पैसे के अधिसूचित बीडी श्रमिकों को बोनस पर्ट रुपये 9.68 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के धण में मकद सुगतान रुपये 05.53 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि काबट्टे नियोजक का अंधदान रुपये 11.62 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 137.51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंधदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 114.27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाहों का औसत 400 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाहों के औसत 386 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (400-241) 59 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-386) औसत 14 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता मिलाकर मध्याह्न अगरबत्ती के लिए रुपये 61.15 पैसे तथा सुगधित अगरबत्ती के लिए रुपये 61.75 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तय्ये रुपये के चुणुकी को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एव मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिषद क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/घार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिकांश रुपये हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/घाघ/2006/16067-069
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 24/5/24

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सहायक दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- उपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(स्वातंत्र पुजार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



वन आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2024/
प्रति.

16070-110

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर सूचनाएं प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके एन क्रमांक 303/अन/577/92/जि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनाएं प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सार्वजनिक प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन स्वास्थ्य विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वस्थ एवं परिवार विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (सहल शाखा)।
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महासंचालक, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप निरीक्षक, शासकीय प्रादेशिक भूदण्डालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित हुए अनुरोध हैं कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, चन्नर मंडल, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- वैकट लिटरेचर, अकादमिकी फेडर, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- सहायक संचालक आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- सहायक संचालक, मध्यप्रदेश।
- 25- सहायक संचालक, अतिरिक्त अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, वृद्धि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वस्थ एवं परिवार विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर अत्यायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक/समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्थापनाएं एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त श्रम पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रम आयुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, ज.प्र.भाषाएं एवं अन्य स्तरीय कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंटिल कर्मकार कल्याण मंडल, मटसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लैबर एग्योर, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनीय न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील माहगाह भत्ते सहित पत्रावलीय कराने के लिए जिलों में पटस्थ श्रम निरीक्षकों को संबोधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

कलायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वेष/पांच/2024/

16111-360

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सियनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सियनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सियनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजित लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र. अवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्वेट एवं पैसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ड्यूटी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2024 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत मान.उच्च न्यायालय, जण्डाला इन्टर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई, 2024 को पारित स्वयंसेवक आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सम्बन्धित नियोजकों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई हैं। उपर्युक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

